

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हरतक, १९८९ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- ७२/२०१२

देव नारायण राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का
क्रम-रास्ता
और तारीख।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

आदेश पर की गई¹
कार्रवाई के बारे में
पेशी, तारीख-सहित

10.06.2015

यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, छपरा के ज्ञापांक २१९०, दिनांक २४.०७.१२ के विरुद्ध दायिल है।

उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक १०.०१.२०१२ को जिला स्तरीय जांच दल संच्चा १३ श्री सुधीर कुमार भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर, सारण के द्वारा देव नारायण राम, ज०७०१०४००५, अनु सं०-१३/२००७, पंचायती-मदारपुर, प्रयांड-मशरक की दूकान की जांच की गई। जांच के क्रम में दूकान बंद पाई गई।

उक्त अनियमितता के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक ५३५/गो०, दिनांक १९.०३.२०१२ के द्वारा विकेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विकेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विकेता की अनुज्ञाप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया था।

अपीलार्थी अपने दिन अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि १०.०१.२०१२ को विकेता के द्वारा अपनी दूकान ०८:०० बजे सुबह से २:०० बजे आपराह्न तक खोल कर रखा गया था। २:०० बजे के बाद कुछ धरेलू कार्य की वजह से विकेता मशरक बाजार चले गये थे। निधारित कार्य अवधि के बीच जांच दल जांच हेतु नहीं आये थे। अतः विकेता के विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। अतः विकेता के द्वारा जान बूझ कर किसी अनियमितता को छिपाने के लिए अपनी दूकान बंद नहीं रखी गई थी। एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि केवल दूकान बंद रहने की स्थिति में अनुज्ञाप्ति

रद्द किए जाने जैसी गंभीर सजा दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपील किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अनियमितताओं को छिपाने के लिए उनके द्वारा अपनी दूकान बंद रखी गयी थी। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखा जाना उचित होगा।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश (2190, दिनांक 24.07.2012) एक मुख्य आदेश नहीं है। जांच की तिथि को यदि विकेता की दूकान बंद थी तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि वे एक तिथि निर्धारित करके विकेता की दूकान से संबंधित कागजात/पंजी मंगवाकर जांच करते एवं यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती तो विकेता से पूछ कारण पृच्छा करते हुए प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, છપરા।

जिला दण्डाधिकारी,
સારણ, છપરા।

ज्ञापांक.....399...../न्या 0, दिनांक.....10/5/15.....

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, મઢૌરા કो अभिलेख મूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7^ई0 सी 0, સારણ, છપરા કો सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एनो ३५०सी०, सारण
छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
१०/६/१५

जिला विधि शाखा

सारण, छपरा।

०८५०
१०/६/१५